

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक **789** / गोपनीय / 2020  
दो-३-५ / 2019 (2020)

जबलपुर, दिनांक **11** अगस्त, 2020

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी बाबी जुनेजा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती बाबी जुनेजा अग्रवाल” पत्नी श्री कृष्णा अग्रवाल करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

  
१ (राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
स्ट

पृष्ठांकन क्रमांक **790** / गोपनीय / 2020  
दो-३-५ / 2019 (2020)

जबलपुर, दिनांक **11** अगस्त, 2020

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- श्रीमती बाबी जुनेजा अग्रवाल, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 61, दिनांक 07.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1200 / दो-११-२७/१७, दिनांक 30. 07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी०ए० (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोर्सिटंग इत्यादि संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समर्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
१ (राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
स्ट